यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयन्ता, छठां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधीक्षण अ भयन्ता, छठां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी के माह 06/2016 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 19/05/2017 से 24/05/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा सर्व श्री दिनेश रमोला, श्री दीपक मालवीय, श्री राघवेन्द्र संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 05/06/2012 से 07/06/2012 तक श्री जे.एम.एस. रावत लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें 02/2005 से 05/2012 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत आने वाले लोक निर्माण वभाग कार्यों का पर्यवेक्षण।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आ धक्य (+)	बचत (-)	आ धक्य (+)	बचत (-)
2012-13	-	-	61.77	58.79	935.80	935.80		2.97		
2013-14	-	-	71.66	70.91	-	-		0.74		
2014-15	-	-	77.49	73.02	-	-		4.46		
2015-16	-	-	75.44	74.29	-	-		1.15		
2016-17	-	-	81.14	81.09	-	-		0.04		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
		Nil			

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता स्तर-I

मुख्य अ भयन्ता स्तर-II

अधीक्षण अ भयन्ता

अ धशासी अ भयन्ता

सहायक अ भयन्ता

अपर सहायक अ भयन्ता

कनिष्ठ अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अधीक्षण अ भयन्ता, छठां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयन्ता, छठां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2013 एवं 11/2015 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। .... का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .... के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर 1: ` 6.65 करोड़ के चयनित माह के भुगतान वाउचर,प्राप्तियो की जाँच रसीद बही व रोकड़ बही कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जाना।

कसी भी खण्ड अथवा कार्यालय की लेखापरीक्षा अव ध का व्यय का ववरण प्राप्त कर के व्यय ववरण के आधार पर सबसे अ धक व्यय वाले माह की वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया जाता है। उक्त चयनित माह के भुगतान वाउचर को रोकड़ बही से, अंकग णतीय शुद्धता तथा प्राप्तियों की जाँच रसीद बही के प्रतिपर्णो एवं रोकड़ बही से की जाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय की लेखापरीक्षा अव ध का व्यय का ववरण प्राप्त कर, व्यय ववरण के आधार पर सबसे अ धक व्यय `6.66 करोड़ वाले माह मार्च 2013 की वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। ले कन उक्त के चयनित माह के 55 हज़ार को छोड़ कर भुगतान वाउचर अवशेष `6.65 करोड़ भुगतान वाउचर, प्राप्तियो की जाँच रसीद बही व रोकड़ बही कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए। जिससे यह प्रतीत होता है क कार्यालय के अन्तर्गत रोकड़ बही का रखरखाव नहीं कया जा रहा है इस के अलावा कार्यालय द्वारा सूचना के अ धकार के अंतर्गत प्राप्त धनरा श को भी अ धशासी अ भयंता के रोकड़ बही के द्वारा कोषागार मे जमा कया जाता है जो यह सद्ध करता है क कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव नहीं कया जा रहा है।

अतः `6.65 करोड़ के चयनित माह के भुगतान वाउचर,प्राप्तियो की जाँच रसीद बही व रोकड़ बही कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 2: उल्लि खत शर्तो के अनुसार नव नि र्मत हाईस्कूल व इंटर कॉलेज के भवनो का निर्माण न कया जाना व उद्देशयो के अनुरूप पूर्ण नि र्मत भवनो का उपयोग सुनिश्चित नहीं कये जाने से छात्र छात्राओ को कक्षा-कक्षों के अभाव में पठन- पठान मे परेशानी एव ठेकेदार के देयकों का भुगतान लंबित रहना।

Paragraph 72 of Financial Hand Book vol.VI provides thatSuperintending engineer is authorized to check that thesystem of accounts is maintained throughout his circle and examine the books of divisional officers and their subordinates, and see that matters relating to the primary accounts are attended to personally by the divisional and sub-divisional officers, and ***that the accounts fairly represent the progress of each work***. He will examine the register of ***works so as to keep a vigilant watch over the rates of work,*** and when he considers it necessary, he may require a divisional officer to report to him monthly or at longer intervals on a works slip in form no. 39 the total expenditure to date under each sub-head of work, in contrast with the sanctioned estimate. It will thus been seen that it rests with the Superintending engineer to investigate excesses over sub –heads with a view to decide whether or not a revised estimate will be required for the work. When a ***revised estimate is required it will also devolve on the superintending engineer to see that it is submitted in due time to the sanctioning authority***, vide paragraphs 79 and 395.He is also responsible that ***no delay is allowed to occur in the submission of completion reports.***

राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान के अंतर्गत 8 हाईस्कूल व इंटर कॉलेज जिन की स्वीकृत लागत ` 391.92 लाख थीके निर्माण कार्यो के लए ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान उत्तरकाशी (सभी के लए माध्या मक शक्षा परिषद) ने लोक निर्माण वभाग के प्राoखाo भटवाडी, निर्माण खण्ड चन्यालीसौड व निर्माण खण्ड बटकोट के साथ अनुबन्ध कया थे। उपलब्ध अ भलेखो के अनुसार:

- अनुबन्ध पत्र मे हर निर्माण कार्य हेतु समय सारणी निर्धारित की गयी थी। तथा
- अनुबन्ध पत्र के बिन्दु संख्या 19 मे उल्लि खत शर्तो के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनरा श के अंतर्गत तथा स्वीकृति आगणन के अनुसार ही पूर्ण करना था।

इस सम्बंध मे ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान, उत्तरकाशी ने पत्रांक संख्या/ निर्माण/2061-64/सीन-(01)/ 2015-16 दिनांक 19 मार्च 2016 द्वारा अधीक्षण अ भयन्ता, छठा वृत लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी को अवगत भी कराया था क राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान के अंतर्गत 8 हाईस्कूल व इंटर कॉलेज जिन की स्वीकृत लागत `391.92 लाख के निर्माण कार्यो को अनुबन्ध पत्र के अनुरूप निर्धरित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करवाये तथा निर्माण कार्यो के पुनरी क्षत आगणन कदा प प्रस्तुत न कया जाये साथ मे यह भी कहा गया था क योजना के अंतर्गत कार्यो की मात्र (यूनिट) को कम व कटौती न की जाये।

उपरोक्त के सम्बंध मे कार्यालय के लेखा अ भलखो व पत्रवाली की जांच मे पाया गया क निर्माण खण्डो द्वारा इन आठों हाईस्कूल व इंटर कॉलेज जिन की स्वीकृत लागत `391.92 लाख की थी के निर्माण कार्य हेतु पुनरी क्षत आगणन `527.63 लाख को शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निदेशक राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा देहरादून प्रे षत कया गया था जिसका अति थ तक राज्य सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नही हुआ हे। आठों हाईस्कूल व इंटर कॉलेज मे से चार कार्य जिन की स्वीकृत लागत `189.87 लाख है के निर्माण कार्य पर मात्रा को कम करके दिसम्बर 2016 से पूर्व ही पूर्ण कए जा चुके थे ले कन 6 महीने पूर्ण होने के उपरान्त भी उन को ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान उत्तरकाशी को हस्तांतरित नही कया गए है। इसके अतिरिक्त अवशेष निर्माण कार्य 70 प्रतिशत से 96 प्रतिशत पूर्ण होने के बाद इन कार्य पर दिसम्बर 2016 के उपरान्त निर्माण कार्य रोके गए है। अति थ तक उपरोक्त निर्माण कार्यो पर `191.52 लाख (माह अप्रैल 2017) का व्यय कया जा चुका है। पूर्ण निर्माण कार्य के मूल्याकन की पत्रवाली मे यह भी पाया गया क राजकीय कन्या हाई स्कूल गड़ोली, राजकीय इंटर कॉलेज गड़ोली, राजकीय इंटर कॉलेज पोनटा व राजकीय हाई स्कूल बोगा मे कई खा मया पायी गई थी जो न केवल वभाग के साथ धोखाधड़ी थी बल्कि उन वद्यालयों मे पड़ने वाले बच्चो के जीवन के साथ भी खलवाड़ है।

प्रकरण इं गत कए जाने परअधीक्षण अ भयंता द्वारा अवगत कराया गया क अधीनस्थ अ धशासी अ भयंता से आख्या मांगी गयी है | सूचना प्राप्त होने पर आख्या प्रे षत कर दी जाएगी| इस सन्दर्भ में अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड भटवारी द्वारा अधीक्षण अ भयंता के माध्यम से अवगत कराया गया कशेष धनरा श अवमुक्त होने पर अवशेष कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ही नि र्मत भवन को हस्तांतरित कया जायेगा| उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क निर्माण कार्यो को अनुबन्ध पत्र के अनुरूप निर्धरित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण नहीं करवाये गए है तथा कार्यो की मात्र (यूनिट) को कम करके निष्पादित की गयी है।

अत: निर्माण कार्य मे श थलता के कारण नव नि र्मत हाईस्कूल व इंटर कॉलेज के भवनो की मात्र (यूनिट) को कम करके निष्पादित कया जाना उक्त को उद्देशयो के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित नहीं कये जाने से छात्र छात्राओ को कक्षा-कक्षों के अभाव में पठन पाठन मे परेशानी एव ठेकेदार के देयकों का भुगतान लंबित रहना का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 3: शासनादेश के मूलउद्देश्य की पूर्ति हेतु वृत्त कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही सुनिश्चित न किए जाने के कारण लाटा मे भागीरथी नदी पर 100 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु निर्माण को सही कियान्वयन सुनिश्चित न किए जाने से कार्य पर रू0 409.00 लाख का आधिक्य व्यय प्रभारित।

लाटा मे भागीरथी नदी पर 100 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु निर्माण कार्य जिसकी वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति शासनादेश सं0– 742/।।।–2/09–03 (मु0मं0घो0) /08 दिनांक 2–3–2009 के द्वारा 490.00 लाख हेतु प्रदान की गयी। उक्त स्पान स्टील गर्डर सेतु निर्माण कार्य की प्रदत स्वीकृति के सोपक्ष कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के द्वारा दिनांक 16–9–2009 को तथा कार्य का अनुबन्ध दिनांक 01–10–2009 के द्वारा ठेकेदार मै0 हिलवेज इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ लागत रू0 141,22,487.00 मात्र का किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 01–10–2009 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 31–03–2011 थी। कार्यालय के अ भलखो मे पाया गया क ठेकेदार द्वारा पुल का कार्य मार्च/ 2010 से प्रारम्भ कया व स्टील गर्डर सेतु निर्माण कार्य के दोनो एबटमेन्ट अगस्त 2011 मे पूर्ण कए उसके उपरान्त ठेकेदार द्वारा पुल के लोहे के बने 80 प्रतिशत फेबरीकेषन पार्ट्स कार्यस्थल पर नहीं लाये गए जब क स्वीकृत ड्राईंग के अनुसार खण्ड द्वारा माह मार्च 2011 मे ही पुल के लोहे के फेबरीकेषन कार्य को पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को भुगतान कया गया था। इस के अतिरिक्त ठकेदार द्वारा सेतु के इरेक्शन मुश्किल व जो खम भरा कार्य बताते हुवे वभागीय अथवा तकनीकी वशेषज्ञ से प्लान बनाने का अनुरोध तत्कालीन अ धशासी अ भयन्ता को कया था। जब क कार्य को समय पर पूर्ण न कए जाने हेतु तत्कालीन अ धशासी अ भयन्ता व अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा ठकेदार के साथ कोई पत्राचार अथवा जीपीए/9 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही अथवा वारनिग नहीं दी गयी थी। आगे यह भी पाया गया क अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा अगस्त 2012 मे सेतु के डजाइन की साउंडनेस पर अप त्त लगाई जिस के कारण सेतु पर निर्माण कार्य बन्द कया गया तब तक ठेकेदार को 11/2011 तक अनुबन्ध के अनुसार कुल 3,94,10,526.00 (95%) भुगतान किया गया था। अ भलेखो मे आगे यह भी पाया गया क इस सेतु निर्माण कार्य के पांच वर्ष बन्द होने के उपरान्त एक नए आगणन के साथ उन्हीं सेक्शन एवं एबटमेन्ट पर बनवाया जा रहा है जिसके डज़ाइन पर अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा अपति लगाई गयी थी। अत: ये सद्ध होता है क तत्कालीन अ धशासी अ भयन्ता व अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा कार्य को सही क्रयावयन

सुनिश्चित नहीं कया गया था और यदि यह कार्य एग्रीमेन्ट के अनुसार 31–3–2011 तक समाप्त हो गया होता तो **इस कार्य पर** 409.00[1] लाख **को बचाया जा सकता था।**

प्रकरण इंगत कए जाने पर अधीक्षण अभयन्ता के माध्यम से उक्त कार्य समय पर पूर्ण न करने के लिये ठेकेदार के नाम रू0 79.67 लाख प्रकीर्ण अग्रिम में डाला गया है तथा जमानत धनराशि 20.79 लाख की वसूली ठेकेदार से कर ली गयी है। शेष धनराशि वसूल करने की कार्यवाही गतिमान थी, परन्तु इस दौरान ठेकेदार द्वारा वसूली के खिलाफ मा0 आर्बिट्रेटर/न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिससे वसूली नही हो पायी। वृत्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या उचित नही है क्योकि **ठकेदार द्वारा सेतु के** इरेक्शन **मुश्किल व जोखम भरा कार्य बताते हुवे वभागीय अथवा तकनीकी वशषज्ञ से प्लान बनाने का** अनुरोध **तत्कालीन अधशासी अभयन्ता को** वर्ष 2012–13 में किया गया था। जबकि खण्ड द्वारा लगभग 18 माह व्यतीत होने के बाद कार्यवाही की साथ ही ठेकेदार को अधूरा काम छोड़ने के लिये काली सूची में नही डाला गया, इसके अतिरिक्त रू0 79.67 लाख प्रकीर्ण अग्रिम जो सामग्री का अवशेष ठेकेदार के पास था जिसकी समय रहते खण्ड द्वारा वसूली नही की गयी जो खण्ड एवं वृत्त कार्यालय की इस कार्य पर लापरवाही को परिलक्षित करता है।

अतः शासनादेश के मूल उद्देश्य की पूर्ति हेतु वृत्त कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही सुनिश्चित न किए जाने के कारण लाटा मे भागीरथी नदी पर 100 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु निर्माण को सही कियान्वयन सुनिश्चित न किए जाने से कार्य पर रू0 409.00 लाख का आधिक्य व्यय प्रभारित किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] (तमअपेमक मेजपउंजम ृ899ण्00 लाख ृ490ण्00लाख =ृ409.00 लाखद्ध

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
10/2012-13	-	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
10/2012-13	भाग दो 'ब'	जानकारी मंगाने हेतु अ.अ. को पत्र प्रे षत कया जा रहा है।		

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अ भयन्ता, छठां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	पदाव ध
(i)	ई. वष्णु कुमार,	अधीक्षण अ भयन्ता	(11/06/2012 से 29/08/2012)
(ii)	ई. वी.एन.तिवारी	अधीक्षण अ भयन्ता	(29/08/2012 से 07/01/2013 तक)
(iii)	ई. एस.के.राय	अधीक्षण अ भयन्ता	(07/01/2013 से 10/01/2013 तक)
(iv)	ई. ओम प्रकाश	अधीक्षण अ भयन्ता	(10/01/2013 से 17/01/2015 तक)
(v)	ई. सी.पी. संह	अधीक्षण अ भयन्ता	(17/01/2015 से 13/02/2015 तक)
(vi)	ई. ओम प्रकाश	अधीक्षण अ भयन्ता	(13/02/2015 से 10/09/2015 तक)
(vii)	ई. अशोक कुमार	अधीक्षण अ भयन्ता	(10/09/2015 से 19/09/2015 तक)
(viii)	ई. ओम प्रकाश	अधीक्षण अ भयन्ता	(19/09/2015 से 08/07/2016 तक)
(ix)	ई. उपेन्द्र संह रावत	अधीक्षण अ भयन्ता	(08/07/2016 से 15/07/2016 तक)
(x)	ई. ओम प्रकाश	अधीक्षण अ भयन्ता	(15/07/2016 से 07/10/2016 तक)
(xi)	ई. एस.एस. तोमर	अधीक्षण अ भयन्ता	(07/10/2016 से अब तक)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अधीक्षण अ भयन्ता, छठां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II